

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) मुकाम

जोधपुर



रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि०जरिये बनाम
अधिकृत हस्ताक्षरतकर्ता-आशीष

ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी पंचायत
समिति लूणी जिला जोधपुर जरिये
सरपंच व अन्य

किस्म मुकदमा पंचायत निगरानी

नं० 93

सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18 .07.2024	<p>श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण के आदेश क्रमांक डीएम/रीडर/24/552 दिनांक 18.06.2024 की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) के पत्र क्रमांक एडीएम/ग्रामीण/कोर्ट/रीडर/2024/348 दिनांक 24.06.2024 द्वारा प्रकरण स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>09-9-2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर </p>	
9-9-24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. मझे आज <u>21-10-24</u> को पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>21-10-24</u> को पेश हों।</p>	
21-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अतिरिक्त उपस्थित नहीं। पत्रावली अतिरिक्त कोर्ट दिनांक 6-3-24 की पत्रावली में पत्रावली पेश करने के अफसस से प्रकृत एडम पत्रावली को पत्रावली दिनांक 27-11-24 को पेश हुई।</p>	

27-11-24

पत्रावली पेश करी अधिवक्ता अपीलार
 उपस्थित नहीं, न ही अपीलार (सम
 उपस्थित अधिवक्ता अपीलार न रिपोर्ट
 संख्या 1 वीं 3 वीं नोटिस अफिली
 पेश नहीं किए) अधिवक्ता अपीलार
 पूर्व में ही अनुपस्थित रहे हैं। यकल
 में बार-बार आगले लुगाने पर
 भी न्यायालय समय 200 एन तक
 अपीलार अधिवक्ता व अपीलार
 स्वयं उपस्थित नहीं करे। अतः ऐसी
 स्थिति में यह निगमनी, निगमनीकाल
 अधिवक्ता व स्वयं निगमनीकाल
 अनुपस्थित रहने पर अदम पैदा
 व अदम पैदा में शक्ति की
 जाती है। पत्रावली के साथ सुमा
 वकालत मसाला के कान ही तथा वक
 वकालत मसाला दालिल पैदा है।



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
 जोधपुर